संख्या-33/2402 ई-2/तेरह-2014-88/2014टीसी

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 27 नवम्बर,2014

विषय:- कनौरिया चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू न किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-82/दस-शीरा-निधि/53/कनौरिया चीनी मिल, दिनांक 21 नवम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21 नवम्बर,2014 में की गई संस्तुति के आलोक में मेसर्स कनौरिया चीनी मिल में शीरा वर्ष 2013-14 में उत्पादित/उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण न लागू किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर निर्णय लिये जाने में प्रक्रियात्मक समय लगने के कारण शीघ्रता एवं अपरिहार्यता की दृष्टि से तथा शीरा सत्र 2014-15 में उक्त चीनी मिल में अविलम्ब उत्पादन प्रारम्भ कराने के उददेश्य से मिल में संचित आरक्षित शीरे की मात्रा को फ्री सेल में विक्रय कर निस्तारण करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत चीनी मिल उक्त मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2014-15 में उत्पादित मात्रा से करेगी तथा यह मात्रा शीरा वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप प्राप्त होने वाली मात्रा के अतिरिक्त होगी। तत्पश्चात् शीरा नीति 2013-14 के प्रस्तर-17 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति के समक्ष समग्र स्थिति विचारार्थ प्रस्तुत कर उनकी कार्योत्तर संस्तुति प्राप्त करते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सुनील कुमार पाण्डेय )
अनु सचिव।

http://sugarcanedept.up.nic.in/govintra